

**न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)****पीठासीन अधिकारी - प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 057/2016(नि.पं.) (GCMS 2016/00141)	दायर दिनांक 19.12.2016	निर्णय दिनांक 19.12.2025
--	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

1. प्रेमशंकर पिता रामनारायण तोतला उम्र 70 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. बृजमोहन पिता रामनारायण तोतला उम्र 65 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
3. रामगोपाल पिता रामनारायण तोतला उम्र 55 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

**निगराकारान****बनाम**

1. जगदीशप्रसाद पिता रामनारायण तोतला उम्र 65 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत पहुँना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

**गैर-निगराकार**

उपस्थिति :- एसएन ईनाणी  
सीएम जणवा  
अनुपस्थित

निगराकारान  
गैर-निगराकार संख्या 1  
गैर-निगराकार संख्या 2

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994  
वास्ते निरस्त किये जाने पट्टा दिनांक 18.09.1985 बनाम  
प्रेमशंकर एवं जगदीशप्रसाद**

**--: निर्णय :-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध गैर-निगराकार के विरुद्ध अधीनस्थ ग्राम पंचायत पहुँना पंचायत समिति राशमी द्वारा जारी पट्टा जो कि गैर-निगराकार संख्या एवं निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है के संबंध में प्रस्तुत की गई है।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर-निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत पहुँना से मूल अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 19.01.2027 को गैर-निगराकार संख्या 01 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। गैर-निगराकार संख्या 02 की और से कोई उपस्थित



नहीं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत पहुँना से पत्र क्रमांक/प.2016-17/28 दिनांक 14.01.2017 से अवगत कराया गया कि उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत में रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। उक्त पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। गैर-निगराकार संख्या 1 की और से दिनांक 23.06.2017 को जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में दिनांक 20.03.2025 को उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर निगराधीन पट्टे को निरस्त किये जाने का प्रार्थना-पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 की पुश्तैनी जायदाद जिसका फर्जी पट्टा विपक्षी संख्या 1 ने स्वयं एवं प्रार्थी प्रेमशंकर के नाम पुराने कब्जे के आधार पर बनाना बताया है जो पूर्णतया फर्जी होकर निरस्त किये जाने योग्य है। जिस जायदाद बाबत् यह पट्टा बनाया गया है वह प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 की पुश्तैनी होकर सन् 1985 में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता के कब्जे में चली आ रही थी जिसका पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर विपक्षी के नाम जारी करने का प्रश्न ही नहीं था। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के पिता ने दिनांक 28.11.2000 को अपना वसीयतनामा निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाया जिसमें यह गुवाडी 1/ हक से प्रार्थी रामगोपाल के एवं 1/2 प्रार्थी प्रेमशंकर के रखी गई है। जगदीशप्रसाद का इसमें कोई हक नहीं रखा है। इस तथ्य को चारो भाईयों ने ईकरार दिनांक 29.11.2000 से स्वीकार किया है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता गैर-निगराकार ने अपनी बहस में दिनांक 20.03.2025 को प्रस्तुत राजीनामा के तथ्यों को दोहराया एवं निगराधीन पट्टे को निरस्त किये जाने की ईशतदुआ कर अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने बताया कि इस प्रकार सन् 1985 में तथाकथित बापी पट्टा होने का प्रश्न ही नहीं है, अपितु फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है। निगराधीन बापी पट्टा दिनांक 18.09.1985 बाबत् ग्राम पंचायत पहुँना से जानकारी करने पर कोई रेकार्ड नहीं मिला और न ही कोई पत्रावली ही मिली। विपक्षी संख्या 1 ने जो फोटो कॉपी किसी माध्यम से भिजवाई उसके अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि यह पट्टा फर्जी तैयार किया गया है जिस पर कोई मिसल नम्बर अथवा पट्टा नम्बर कुछ भी अंकित नहीं है और पुश्तैनी जायदाद का पट्टा पिता की मौजूदगी में किसी पुत्र को कैसे दिया जा सकता है। इस प्रकार सारी कार्यवाही फर्जी की गई है। गैर-निगराकार को पट्टा जारी करने बाबत् वैध प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई है। आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए विधि की अवज्ञा का नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है जो गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर-निगराकार को जारी पट्टा को निरस्त फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस समाप्त की।



हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया :-

**97. Power of revision and review by Government.-** (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudicial to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्हीं भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं। निगराधीन पट्टा संख्या ... दिनांक 18.09.1985 के अवलोकन से जाहिर आया है कि उक्त पट्टा आबादी भूमि का विक्रय विलेख होकर नियम 1567 के तहत



निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं किया गया है। उक्त पट्टे पर बापी पट्टा का अंकन किया गया है। ग्राम पंचायत पहुँना द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत में रेकार्ड उपलब्ध नहीं है, पत्रावली पर उपलब्ध निगराधीन पट्टे की प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त विवादित पट्टा पुश्तैनी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाना जाहिर होता है। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये हैं।

**157. Regularisation of old houses.-**

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

- |   |           |
|---|-----------|
| (a) For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules             | Rs. 100/- |
| (b) For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016]. | Rs. 200/- |

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। प्रावधानुसार जहाँ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जा सकेगा। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण के हैं कि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि स्थित गृहों के विनियमितीकरण किये जाने की ही क्षेत्राधिकारिता है गैर आबादी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को अधिकार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 द्वारा प्रदान नहीं किये गये हैं।

पत्रावली पर निगराधीन पट्टे के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई रेकार्ड उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे निगराधीन पट्टे के संबंध में जारी किये जाने की प्रक्रिया का परीक्षण किया जा सकें, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत पहुँना द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधानों की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत पहुँना पंचायत समिति राशमी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत



पुराने गृहों के विनियमितकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत पहुँना द्वारा त्रुटि कारित की गई है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा संख्या ... दिनांक 18.09.1985 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत पहुँना पंचायत समिति राशमी द्वारा विवादित पट्टा संख्या .... दिनांक 18.09.1985 के संबंध में के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत पहुँना द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत पहुँना द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत पहुँना पंचायत समिति राशमी द्वारा जारी पट्टा संख्या पट्टा संख्या ... दिनांक 18.09.1985 जो कि गैर निगराकार संख्या 01 व निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी राशमी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.12.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(प्रभा गौतम)  
अतिरिक्त कलक्टर,  
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़